भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2387

गुरूवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ओडिशा के सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र में पर्यटन

2387 श्रीमती ममता मोहंता:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ओडिशा के सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस वन आरक्षित क्षेत्र में एक विशाल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस वन आरक्षित क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): जैसा कि ओडिशा राज्य वन विभाग द्वारा सूचित किया गया है, सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र में वृहत पर्यटन स्थल बनने की अपार क्षमता है। बाघ, हाथी और विविध पौधों की प्रजातियों, ऑर्किड सहित बरेहीपानी, उस्की और जोरांडा जैसे आश्चर्यजनक झरने के साथ ही इसकी समृद्ध जैव विविधता, इसे इको-पर्यटन एवं वन्यजीव पर्यटन के लिए एक प्रमुख स्थान बनाती है।

ओडिशा सरकार ने प्रचलित नियमों और विनियमों की सीमाओं में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार हैं -

- सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रवेश टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और आगंतुकों की सूचना के लिए वेबसाइट का विकास।
- टिकट काउंटर, शौचालय एवं व्याख्यान केंद्र जैसी पर्यटक सुविधाओं का नियमित रखरखाव।
- बैटरी चालित वाहनों के साथ सफारी वाहनों को शामिल करना एवं सड़कों का आवधिक रखरखाव।
- स्थानीय समुदाय आधारित प्रकृति शिविरों, प्रकृति ट्रेल्स, खुले जंगल में सफारी और जनजातीय सूचना केन्द्र जैसी इको-पर्यटन सुविधाओं का विकास करना।
- जशीपुर में रामतीर्थ के साथ-ही जोरांडा, बरेहीपानी, गुरगुरिया, उस्की जैसे पर्यटन स्थलों का विकास।
- वन प्रबंधन में अग्नि शमन उपायों और सामुदायिक भागीदारी को शामिल करने सहित संरक्षण कार्यनीतियों को लागू करना।

****